न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 81 / 2020

1 सुरजन सिंह पुत्र केशरसिंह।
2 गुलाब कंवर पत्नी केशरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भंवरसिंह पुत्र कानसिंह।
2 विजय सिंह दतक पुत्र सवाईसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 पटवारी हल्का पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4 गिरदावर हल्का जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 उप पंजियक लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर भू–धारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2018
मुकदमा नम्बर 124 / 2016 बउनवानी सुरजन सिंह
बनाम भंवर सिंह आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान अपील अन्तर्गत
धारा 223 आरटीएक्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील संख्या 82 / 2020

1 सुरजन सिंह पुत्र केशरसिंह।
2 गुलाब कंवर पत्नी केशरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भंवरसिंह पुत्र कानसिंह।
2 विजय सिंह दतक पुत्र सवाईसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 पटवारी हल्का पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
4 गिरदावर हल्का जाजोद तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
5 उप पंजियक लक्ष्मणगढ़ तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
6 तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर भू–धारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.2020
मुकदमा नम्बर 124 / 2016 बउनवानी सुरजन सिंह
बनाम भंवर सिंह आदि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान अपील अन्तर्गत
धारा 223 आरटीएक्ट

उपस्थिति :

1. श्री रामेश्वरलाल बिजारणियां, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सांवरमल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 21.09.21

यह दोनों अपीले विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 124/2016 में पारित निर्णय दिनांक 01.05.2018 एवं 05.11.2020 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलीयों में पक्षकार एवं विवादित भूमि समान होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां पृथक–पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने एक वाद बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा विचारण न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर की तन में कृषि भूमि खसरा नम्बर 307 रकबा 7.69 हैक्टेयर अवस्थित है जिसमें 1/3 हिस्सा वादीगण/अपीलांट एवं 1/3,1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 रेस्पोडेंट के नाम खातेदारी है तथा शामलाती कुआं भी बना हुआ है जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवारा किया जावे। कानूनी बंटवारा नही होने से काश्त को लेकर आये दिन पक्षकारो में विवाद उत्पन्न होता रहता है प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नही होने के कारण सड़क से लगते हुए सम्पूर्ण जमीन को अपने कब्जे व आधिपत्य में जबरन लेकर वहां से वादीगण/अपीलांट को बेदखल करके सड़क से सटती हुई भूमि को कृषि से अकृषि में बदलकर प्लोटिंग करके दीगर भूमाफिया लोगो को विकय व अन्तरण करने को सचेपट होकर वादीगण को धमकी देते है वादीगण ने अपने कब्जे काश्त के अनुसार वाद पत्र के अनुसार काश्त का नजरी नक्शा प्रस्तुत करते हुए मुताबिक नजरी नक्शा में मार्क ए,बी,सी, की स्थिति के अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारे की सहायता चाही। उक्त आशय के वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने दिनांक 08.05.2017 को जवाब दावा प्रस्तुत किया तत्पश्चात पत्रावली अन्य प्रतिवादीगण की तामील में विचाराधीन रही, परन्तु तामील हुए बिना ही वाद पत्र में दिनांक 01.05.2018 को निर्णय पारित करते

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

हुए प्रारम्भिक डिक्री पारित करते हुए तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाये जाने का आदेश दिया, जिसकी पालना में बंद कमरे में बैठकर हल्का पटवारी द्वारा तैयार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 22.08.2019, विचारण न्यायालय में दिनांक 03.09.2019 को प्राप्त हुआ जिसका उल्लेख आदेशिका दिनांक 04.02.2020 में किया गया, तत्पश्चात पत्रावली में तामील संबंधी कोई कार्यवाही नही हुई तथा आदेशिका दिनांक 29.10.2020 में लिखा गया कि वकील प्रतिवादी ने पत्रावली में संलग्न विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर वाद वादीगण को मुताबिक विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 2050 दिनांक 03.09.2019 के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। तब वादीगण/अपीलांट के अधिवक्ता ने दिनांक 03.11.2020 को विभाजन प्रस्ताव के विरूद्व आपत्ति प्रस्तुत की तथा पत्रावली दिनांक 05.11.2020 को जवाब/ बहस आपत्ति हेतु नियत की गयी व दिनांक 05.11.2020 को प्रकरण में शीघ्रता दिखाते हुए आनन फानन में वादीगण की आपत्ति खारिज करते हुए इसी दिन प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित कर दी। इससे व्यथित होकर यह अपील की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के साथ वादग्रस्त भूमि के बंटवारे के वाद के साथ बंटवारा संबंधी प्रस्तुत नजरी नक्शा एवं रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत जवाबदावा के आधार पर बिना तनकीयात कायम किए व बिना कोई साक्ष्य लिए सरसरी तौर पर अपना निर्णय व डिक्री पारित कर दी। विचारण न्यायालय ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा समय समय पर पारित निर्णयों एवं स्वंय न्यायालय द्वारा पारित प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 01.05.2018 जिसमें विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियमो के नियम 18 से 21 के प्रावधानो को ध्यान में रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाये जाने का आदेश तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को दिया गया था की पालना नही होने के बावजूद भी अर्थात विभाजन प्रस्ताव पक्षकारो की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अनुपस्थिति में हल्का पटवारी द्वारा तैयार किए गए विभाजन प्रस्ताव को आधार मानकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित किया गया है। अपीलांट संख्या 1 प्रायः दिल्ली में मजदूरी करता है तथा अधिकतर समय दिल्ली में ही रहता है तथा वाद पत्र में अपने अधिवक्ता से अपीलांट संख्या 2 ही दूरभाष पर सम्पर्क करती थी जिसे निर्णय व डिक्री दिनांक 01.05.2018 की सर्वप्रथम अपीलांट को दिनांक 06.11.2020 को तब हुई जब अपीलांट के अधिवक्ता ने फोन करके बताया कि आपके वाद पत्र में निर्णय हो चुका है तो तुरन्त अपीलांट संख्या 2 ने अपने पुत्र अपीलांट संख्या 1 को सूचना दी तथा वर्तमान समय में कोविड–19 महामारी के कारण राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के घर से बाहर निकलने के प्रतिबंध के कारण अपने पोते को अधिवक्ता से सम्पर्क करने के लिए कहा तथा प्रकरण में निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु दिनांक 06.11.2020 को आवेदन किया तब अपीलांट के अधिवक्ता ने अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 05.11.2020 की प्रति दिनांक 11.11.2020 को उपलब्ध करवायी तब अपीलांट ने आगे की कार्यवाही के लिए विधिक सलाह ली तो अपील करने की सलाह दी गयी व प्रारम्भिक डिक्री की आवश्यकता पड़ी जिसकी प्रतिलिपि लेने हेतु पुनः दिनांक 26.11.2020 को आवेदन किया तथा दिनांक 26.11.2020 को ही प्रतिलिपि प्राप्त हो गयी तथा दिनांक 27.11.2020 को अपील तैयार करवाकर दिनांक 28.11.2020 से 30.11.2020 तक राजकीय अवकाश होने से आज अविलम्ब प्रस्तुत की जा रही है इसलिये दिनांक 01.05.2018 के निर्णय व डिक्री की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 06.11.2020 को होने व दिनांक 11.11.2020 को नकल प्राप्त होने तथा उस दिन प्रारम्भिक डिक्री की प्रति उपलब्ध नही होने के कारण जानकारी के अभाव में हुई देरी एवं विधिक सलाह लेने में लगे समय के कारण हुई देरी को कन्डोन किया जाना प्रार्थनीय है। अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट ही विचारण न्यायालय में वादी थे अपीलांट द्वारा ही विचारण न्यायालय में वाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट को विचाराधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नही होने का कथन स्वीकार योग्य नही है। अपीलांट की अपील मियाद बाहर होने खारिज योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2018 को विधि अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये है। विचारण न्यायालय में दिनांक 04.02.2020 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुये है। दिनांक 29.10.2020 को प्रतिवादी ने मुताबिक प्रस्ताव डिक्री जारी करने का निवेदन किया है। दिनांक 03.11.2020 को वादीगण अपीलांटस की ओर से आपत्ति प्रस्तुत की गई है। दिनांक 05.11. 2020 को आपत्ति व अन्तिम बहस सुनी जाकर आपत्ति खारिज कर वाद वादी डिक्री किया गया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कन्डोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है इस सन्दर्भ में विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचारण न्यायालय के समक्ष वर्तमान रेस्पोडेंट द्वारा बतौर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दिनांक 08.08.2016 को जवाब दावा प्रस्तुत कर वाद कथन को अस्वीकार कर वाद खारिज करने का निवेदन किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया की पालना में वाद कथन एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम किये बिना, उभयपक्ष की साक्ष्य प्राप्त किये बिना दिनांक 01.05.2018 को विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है। दिनांक 01.05.2018 की आदेशिका में भी प्रतिवादीगण अथवा वादीगण के सहमती के हस्ताक्षर नही है। विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के काउन्टर हस्ताक्षर है। पत्रावली में संलग्न तहसीलदार के पत्र दिनांक 03.09.2019 में तहसीलदार स्वंय द्वारा अंकित किया गया है कि विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का पाटोदा से तैयार कर भिजवाये जा रहे है स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव नियम 18 से 21

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

की पालना में स्वंय तहसीलदार द्वारा तैयार नही किये गये है जबकि इस सन्दर्भ में माननीय मण्डल द्वारा आज्ञापक प्रावधान किये हुये है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माने जा सकते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया की पालना कर तनकी कायम कर, साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.10.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर